कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22432/उत्सव/2014–17/ दिनांकः 15/02/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर करने के क्रम में।

प्रसंग :– प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर के पत्रांक : रा.स्कू.शि.प/जय/शनिवारीय कार्यक्रम/2018–19/11533 दिनांक : 01.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग द्वारा बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। **राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में माह के प्रत्येक शनिवार को आवश्यक रूप से बाल सभा का आयोजन किया जावें।**

उद्देश्य :–

1. विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षमता वर्द्धन।
2. दबाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण।
3. सामुहिक सहयोग एवं समन्वय क्षमतावर्द्धन।
4. शैक्षणिक वातावरण निर्माण में सामुदायिक रूचि एवं सहयोग भावना का निर्माण।
5. सामाजिक सौहार्द एवं समन्वय में वृद्धि।
6. विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अभिभावकों की रूचि एवं सहयोग प्राप्त करना।

राज्य के प्रत्येक राजकीय विद्यालयों (मा.वि./उ.मा.वि.) में माह के प्रत्येक शनिवार को बालसभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर किया जावेगा। बालसभा के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

- **आयोजक :–** संबंधित संस्थाप्रधान के नेतृत्व एवं निर्देशन में विद्यालय के समस्त अध्यापकों के सहयोग से बालसभा आयोजन को सुनिश्चित किया जावेगा।
- **सहभागिता :–** शनिवारीय बाल सभा में विद्यालय में अध्ययनरत **समस्त विद्यार्थियों की सहभागिता** रहेगी तथा **प्रत्येक शनिवार को भिन्न–भिन्न विद्यार्थियों को सहभागिता/प्रदर्शन का अवसर** दिया जावें।
- **समय :–** माह के प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक कालांश से 10 मिनट की कटौती की जाकर अंतिम 2 कालांश अर्थात् 80 मिनट में ही किया जायेगा। **बाल सभा आयोजन 60 मिनट का होगा** एवं 20 मिनट में आयोजन हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं बैठक व्यवस्था की सुनिश्चितता की जावें।
- **पूर्व तैयारी :–** बाल सभा आयोजन से पूर्व पंचायत के सरपंच/वार्ड पंच/प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा कर बाल सभा हेतु **सार्वजनिक स्थान का चयन** किया जा सकता है। प्रत्येक बाल सभा हेतु हर बार भिन्न–भिन्न स्थान का चयन किया जावे। बाल सभा हेतु ग्रामीणों को आमंत्रित कर सहभागिता हेतु निवेदन किया जावें।

www.rajteachers.com

- **स्थान :–** बाल सभा का आयोजन विद्यालय के संबंधित गाँव/ढाणी के सुरक्षित एवं सार्वजनिक स्थान पर किया जावे जहां ग्रामीणजनों/अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक स्थल पर **छात्र–छात्राओं को सुरक्षित पहुंचाने एवं पुनः विद्यालय तक लाने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान व शिक्षकों की होगी।**

सुझावात्मक गतिविधियाँ – बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियाँ का आयोजन किया जा सकता है :–

अभिव्यक्ति कौशल :– • वाद–विवाद • संस्कृत श्लोक वाचन • बोलना : गीत, कविता, लोकगीत, कहानी आदि • नृत्य • लिखनाः कहानी, घटना, कविता,श्रुतिलेख, सुलेख • अविस्मरणीय घटना सुनाना • नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय • अन्त्याक्षरी • महापुरूषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन	**सृजनात्मक कौशल :–** • कबाड़ से जुगाड़ • रंगोली, चित्रों में रंग भरना आदि • विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मुखौटे/खिलौने (मिट्टी, कपड़े, लकड़ी कागज आदि) का प्रदर्शन। • मॉडल एवं चार्ट निर्माण • भित्ति पत्रिका निर्माण
चिंतन, तार्किक कौशल :– • पहेलियाँ हल करना • विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन • क्विज एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी • सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी	**सामुदायिक कौशल :–** • पुलिस/डॉक्टर/नर्स/वकील/इंजीनियर/बैंक कर्मी आदि की बारी–बारी वार्ता कराना। • दैनिक कामगार– लकड़ी का काम करने वाला/मिट्टी के बर्तन बनाने वाला/लोहे के औजार बनाने वाला/पेन्टर/दुकानदार आदि से उनके काम के बारे में जानना। • संस्कार सभा के अंतर्गत दादी/नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन। • राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्बोधन।
सामजिक, संवेदनशीलता कौशल :– • आईसीटी लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन • Motivational Videos • Gender Based Video (Good touch, Bed touch) • बाल संरक्षण से संबंधित पीपीटी,वीडियो • चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियाँ • वन एवं पर्यावरण क्लब • रोड़ सेफ्टी क्लब • मीना, राजू मंच की गतिविधियाँ • पेड़–पौधे लगाना एवं सुरक्षा	**शारीरिक कौशल :–** • विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा– कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, तीन टांग दौड़, बोरी दौड़ इत्यादि • रूमाल झपट्टा, सतोलिया आदि

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा सकती है, जो विद्यालय/अभिभावकों द्वारा सुझायी जायें।

www.rajteachers.com

- बाल सभा आयोजन का विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही किया जावें।
- आयोजन में विद्यालय पर यथासंभव किसी भी प्रकार का वित्तीय भार ना हो, इसका ध्यान रखा जावें।
- बाल सभा आयोजन में आवश्यकता होने पर विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट ग्रान्ट का उपयोग अथवा ग्रामवासियों/अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से कोई सहयोग लिया जा सकता है।

जिला/ब्लॉक के समस्त राजकीय विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन उपरोक्त निर्देशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं इसका प्रभावी पर्यवेक्षण करे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
4. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर